संसदीय विशेषाधिकारों का हनन

[स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स](#)

[राष्ट्रपति के अभिभाषण](#) पर टिप्पणी किये जाने के पश्चात् कुछ [सांसदों](#) के खिलाफ **संसदीय विशेषाधिकार हनन** का औपचारिक नोटिस दायर किया गया।

- **विशेषाधिकार का उल्लंघन** तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी **सदस्य** या **सदन** के विशेषाधिकारों**, अधिकारों या उन्मुक्तियों की अवहेलना** करता है या उन पर **आक्षेप** करता है।
- **परिचय:** [संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्ति](#) **सांसदों** और [विधायकों](#) को **बाहरी हस्तक्षेप के बिना** उनका प्रभावी कार्य-चालन सुनिश्चित करने हेतु प्रदत्त **विशेष अधिकार** हैं।
- **स्रोत:**
  - **संविधान** का [अनुच्छेद 105](#), [122](#), [194](#) और [212](#)।
  - **संसदीय परंपराएँ** (वर्ष 1947 की **ब्रिटिश संसदीय परिपाटी** पर आधारित)।
  - [प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियम](#) ([लोकसभा](#) और [राज्यसभा](#))
  - न्यायिक निर्वाचन **(**[सर्वोच्च न्यायालय](#) और [उच्च न्यायालय](#) के निर्णय)
  - **सांविधिक विधियाँ** ([संसद](#) द्वारा अधिनियमित विधियाँ) (वर्तमान में, संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाला संसद का कोई अधिनियम नहीं है)।
- **संसदीय विशेषाधिकार में शामिल हैं:**
  - **वैयक्तिक विशेषाधिकार: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधिक कार्यवाही** से उन्मुक्ति, **गिरफ्तारी** से उन्मुक्ति आदि।
  - **सामूहिक विशेषाधिकार: गुप्त बैठकें**, अन्वेषण शक्तियाँ, न्यायिक उन्मुक्ति आदि।
- **अनुच्छेद 87** के तहत, राष्ट्रपति लोकसभा के लिये प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत **संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण** करेगा।

और पढ़ें: [संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ](#)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/breach-of-parliamentary-privileges